



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-14012023-241993
CG-GJ-E-14012023-241993

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]
No. 23]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2023/पौष 23, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2023/PAUSHA 23, 1944

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 12 जनवरी, 2023

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022

सं. आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी028.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 और 13 के साथ पठित धारा 28 और बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क की उप-धारा (2) के खंड (यघ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण निम्नलिखित नियम बनाता है: -

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रयोज्यता-

- (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- (3) इन नियमों के अधीन उपबंध अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों (आईआईओ) पर लागू होंगे।

2. उद्देश्य -

इन विनियमों का उद्देश्य उन व्यक्तियों के लिए नियामक ढांचा निर्धारित करना है जो आईआईओ के लिए 'नियुक्त बीमांकक' की भूमिका निभाने के लिए और उसके कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत हैं।

3. परिभाषाएँ -

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) 'अधिनियम' का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50);
- (ख) 'प्राधिकरण' का अर्थ अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है;
- (ग) 'नियुक्त बीमांकक' का अर्थ है इन विनियमों के विनियम 4 में नियुक्त बीमांकक;
- (घ) 'बोर्ड' का अर्थ है आईआईओ का निदेशक मंडल, आईआईओ के मामले में निगमित रूप में, या अनिगमित रूप में आईआईओ के मामले में मूल एंटीटी का बोर्ड;
- (ङ) 'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय' या 'आईआईओ' का वही अर्थ होगा जो इसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) विनियम, 2021 के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ट) के अधीन निर्दिष्ट किया गया है;
- (च) 'व्यावसायिक मानक' का अभिप्राय है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्चुरियल प्रैक्टिस (आईएसएपी), यूरोपियन स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्चुरियल प्रैक्टिस (ईएसएपी) या इंटरनेशनल एक्चुरियल एसोसिएशन (आईएए) द्वारा निर्दिष्ट प्रैक्टिस मानक।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो अधिनियम की पहली अनुसूची में वर्णित अधिनियम या अधिनियमों या इनके अधीन बनाए गए किसी नियमों, विनियमों या अधिसूचनाओं में परिभाषित हैं, के अर्थ क्रमशः वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या किसी सांविधिक संशोधन या पुनःअधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में उनके लिए नियत किए गए हैं।

4. नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति -

- (1) आईआईओ का बोर्ड 'नियुक्त बीमांकक' (एए) के कार्य करने के लिए आवश्यक अर्हता, सक्षमता, अनुभव और व्यावसायिक दर्जे वाले व्यक्ति को नियुक्त करेगा।
- (2) एए के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए, व्यक्ति को आईएए के किसी भी पूर्ण सदस्य संघ का फेलो सदस्य होना चाहिए और उसके पास -

- (क) ऐसे पूर्ण सदस्य परिसंघ द्वारा जारी प्रैक्टिस का वैध प्रमाणपत्र होना चाहिए;
- (ख) आईआईओ द्वारा संचालित व्यवसाय के लिए प्रासंगिक बीमा उद्योग अर्थात् (जीवन, सामान्य, स्वास्थ्य बीमा या पुनर्बीमा, जैसा भी मामला हो), के क्षेत्रों में फैलोशिप के बाद न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए,
- (ग) किसी भी व्यावसायिक या वित्तीय कदाचार का दोषी नहीं पाया गया हो,
- (घ) आईआईओ सहित किसी अन्य बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के रूप में कार्य नहीं कर रहा हो;
- बशर्ते कि* अनिगमित आईआईओ के मामले में, एए को मूल एंटीटी द्वारा इसके मूल देश के नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा जारी वर्तमान नियामक ढांचे के अनुसार नियुक्त किया जाएगा;
- (ङ) वह किसी ऐसी अन्य क्षमता में कार्य नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप इन विनियमों के अनुसार, एए के रूप में उसकी भूमिका के निर्वहन में हितों का टकराव होने की संभावना हो।

बशर्ते कि अनिगमित आईआईओ के मामले में, एए को मूल एंटीटी द्वारा उसके मूल देश के नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा जारी मौजूदा नियामक ढांचे के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

- (3) आईआईओ का बोर्ड, एए की नियुक्ति करते समय, एए को आईआईओ द्वारा किसी भी लागू कानून या नियामक अपेक्षा का अनुपालन न किए जाने के बारे में सीधे प्राधिकरण को रिपोर्ट करने के लिए अधिकृत करेगा।
- (4) आईआईओ नियुक्ति की तारीख से सात (7) दिनों की अवधि के भीतर एए के रूप में नियुक्त व्यक्ति के बारे में प्राधिकरण को यथा-निर्दिष्ट कोई अन्य सूचना देने या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के साथ-साथ एए में किसी भी परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को सूचित करेंगे।
- (5). आईआईओ यह सुनिश्चित करेगा कि:
- (क) एए को अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निष्पादन के लिए पर्याप्त संसाधन और समर्थन प्रदान किया जाए;

- (ख) एए किसी आईआईओ में शीर्ष कार्यकारी पद धारण करने वाले व्यक्ति को, या जहां आईआईओ अनिगमित रूप में है, मूल एंटीटी के शीर्ष कार्यकारी पद धारण करने वाले व्यक्ति को सीधे रिपोर्ट करे।

5. नियुक्त बीमांकक की शक्तियाँ -

- (1) आईआईओ के स्वामित्व या नियंत्रण में सभी प्रासंगिक सूचना और दस्तावेजों तक; या जहां आईआईओ मूल एंटीटी के अनिगमित रूप में है, निम्नांकित मामलों में एए की पहुंच होगी-
- (क) जिन पर आईआईओ या उसके निदेशकों को बामांकक सलाह देना आवश्यक है;
- (ख) जो आईआईओ की शोधन क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, या
- (ग) जो पॉलिसीधारकों की उचित अपेक्षाओं को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं
- (2) एए किसी आईआईओ के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से कोई भी जानकारी और दस्तावेज मांग सकता है और यह ऐसे प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी का कर्तव्य होगा कि वह उसे प्रदान करे।

6. एए के कर्तव्य और दायित्व:- विशेष रूप से और पूर्वगामी मामलों की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, और बीमा क्षेत्र और आईआईओ के पॉलिसीधारकों के हितों में, एए के कर्तव्यों और दायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- (1) विशेष रूप से उत्पाद डिजाइन और मूल्य निर्धारण, बीमा अनुबंध शब्दों, निवेश और पुनर्बीमा के क्षेत्रों में आईआईओ को बीमांकक सलाह देना;
- (2) हर समय आईआईओ की शोधन क्षमता सुनिश्चित करना और शोधन क्षमता मार्जिन के आवश्यक नियंत्रण स्तर को बनाए रखना;
- (3) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से मूल्यांकन की गई आस्तियों और देनदारियों के प्रमाणीकरण के संबंध में बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों का अनुपालन;
- (4) यह सुनिश्चित करना कि समग्र मूल्य निर्धारण नीति आईआईओ की समग्र हामीदारी और दावा प्रबंधन नीति के अनुरूप है;
- (5) यह सुनिश्चित करना कि बीमा उत्पादों की प्रीमियम दरें उचित हैं;
- (6) पुनर्बीमा व्यवस्था की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- (7) जोखिम प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन में योगदान देना;
- (8) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित एकचुरियल रिपोर्ट, सार और अन्य रिटर्न प्रमाणित करना;
- (9) गणितीय रिजर्व की गणना का समन्वय करना और प्रमाणित करना कि गणितीय रिजर्व को प्राधिकरण द्वारा निदेशित निर्धारित तरीके से निर्धारित किया गया है; और जहां ऐसे निदेश उपलब्ध नहीं हैं, वहां ऊपर परिभाषित व्यावसायिक मानकों के अनुसार निर्धारित किया गया गया है;
- (10) उपयोग किए गए रीतिविधानों और अंतर्निहित मॉडल, लगाए गए अनुमान, और गणितीय रिजर्व की गणना में उपयोग किए गए डेटा की पर्याप्तता और गुणवत्ता, खर्च किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) दावों और खर्च किए गए लेकिन पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनईआर) और यथा-प्रयोज्य दावों और प्रीमियम अभाव रिजर्व (पीडीआर) की उपयुक्तता सुनिश्चित करना;
- (11) गणितीय रिजर्व की गणना की विश्वसनीयता और पर्याप्तता, आईबीएनआर के लिए रिजर्व और आईबीएनईआर और पीडीआर सहित अन्य रिजर्व के बारे में बोर्ड को सूचित करना;
- (12) बोर्ड को किसी भी मामले के बारे में सूचना देना, जहां एए की व्यावसायिक राय में, आईआईओ द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है, जिसमें निम्नांकित शामिल हो सकते हैं: -
- (क) लागू कानूनों का कतिपय उल्लंघन;
- (ख) पॉलिसीधारकों के हितों के प्रतिकूल कुछ भी;

- (ग) आईआईओ के निदेशकों, अधिकारियों या कर्मचारियों की ओर से कोई विफलता, जो एए को इस विनियम के अधीन उसके कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने की अनुमति नहीं देती है;
- (घ) प्राधिकरण के निदेशों का पालन न करना।
- (13) किसी भी लागू कानून या नियामक आवश्यकता, व्यावसायिक प्रेक्टिस के गैर-अनुपालन के बारे में प्राधिकरण को सीधे सूचित करना; और उनके विवेकानुसार, कोई अन्य प्रासंगिक सूचना।
- (14) निम्नलिखित मामलों के संबंध में आईआईओ की व्यावसायिक विशिष्ट अपेक्षाओं को सुनिश्चित करना -
- (क) जीवन बीमा व्यवसाय -
- (i) पॉलिसीधारकों को देय बोनस की अनुशंसा करना;
- (ii) यह सुनिश्चित करना कि भाग लेने वाले पॉलिसीधारकों की देयताओं का मूल्यांकन और अधिशेष का वितरण उचित तरीके से किया जाएगा;
- (iii) बीमा उत्पादों की मूल्य निर्धारण पर्याप्तता सुनिश्चित करना।
- (ख) सामान्य बीमा व्यवसाय या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय-
- (i) बीमांकक सिद्धांतों के अनुसार देनदारियों का निर्धारण;
- (ii) बीमांकक सिद्धांतों के अनुसार आईबीएनआर और आईबीएनईआर और पीडीआर सहित अन्य रिजर्व के लिए रिजर्व की गणना करना।
- (iii) बीमा उत्पादों की मूल्य निर्धारण पर्याप्तता सुनिश्चित करना।

7. बीमांकक रिपोर्ट -

- (1) एक्चुरियल रिपोर्टें प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुरूप और इन विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (च) के अधीन उल्लिखित लागू व्यावसायिक मानकों, एक्चुरियल एसोसिएशन, जिसका एए सदस्य है, द्वारा जारी प्रेक्टिस मानकों और मार्गदर्शन नोटों के अनुपालन में होगी।
बशर्ते कि अनिगमित आईआईओ के संबंध में, एए के लिए लागू व्यावसायिक मानक, मूल एंटीटी के गृह देश के नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा यथा- विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार होंगे।
- (2) एए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राधिकरण को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा -
- (क) आस्ति और देनदारियों के मूल्यांकन और आईआईओ की मूल एंटीटी के संबंध में पूंजी की पर्याप्तता का बीमांकक प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।
- (ख) निम्नलिखित युक्त आईआईओ के संबंध में बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट -
- रिजर्व की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली विस्तृत पद्धति;
 - प्रासंगिक नियमों के अनुसार पूंजी की आवश्यकता;
 - अनुमानों से जुड़ी परिवर्तनशीलता; और
 - अस्वीकरण और अर्हता, यदि कोई हो।
- (ग) आईआईओ के निवेश के मूल्य का एक्चुरियल प्रमाणपत्र।
- (घ) स्वीकार्य आस्तियों, देयताओं और पूंजी की पर्याप्तता का विवरण।
- (3) एए संदर्भ अवधि के अंत से त्रैमासिक आधार पर, या समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट आवधिकता पर प्राधिकरण को सभी आवश्यक प्ररूप जमा करेगा।

8. प्रक्रियाओं आदि को निर्दिष्ट करने की शक्ति: नियुक्त एक्चुररी के कार्यों के कार्यान्वयन, सरलीकरण और विनियमन के उद्देश्य से और प्रासंगिक मामलों के लिए, प्राधिकरण आईआईओ द्वारा अनुपालन के लिए मानदंड, प्रक्रिया, विधियां और तरीके निर्दिष्ट कर सकता है।

9. कठिनाइयों को दूर करने और विनियमों के कठोर प्रवर्तन में ढील देने की शक्ति:

- (1) इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने या उनकी व्याख्या करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण मार्गदर्शन टिप्पणी या परिपत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।
- (2) निर्दिष्ट अप्रतिदेय संसाधन शुल्क के साथ प्राप्त आवेदन पर, प्राधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, इन विनियमों के किसी भी उपबंध के कठोर प्रवर्तन को शिथिल कर सकता है।

10. निरसन और व्यावृत्तियां:

- (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख को और तारीख से, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 और इसके अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए कोई भी परिपत्र, दिशानिदेश किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में लागू नहीं रहेंगे।
- (2) इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले, आईएफएससी में कार्यरत आईआईओ, इन विनियमों के शुरू होने से एक माह की अवधि के भीतर या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट इस तरह की विस्तारित अवधि के भीतर, इन विनियमों में निर्दिष्ट अतिरिक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./552/2022-23]

**INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY
NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 12th January, 2023

International Financial Services Centres Authority (Appointed Actuary) Regulations, 2022

No. IFSCA/2022-23/GN/REG028.—In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Sections 12 and 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, and clause (zd) of sub-section (2) of section 114A of the Insurance Act, 1938, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations namely:-

1. **Short title, commencement and applicability –**

- (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Appointed Actuary) Regulations, 2022.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) The provisions under these regulations shall be applicable to International Financial Services Centres Insurance Offices (IIOs).

2. **Objective –**

These regulations aim to lay down the regulatory framework for the persons who are engaged by the IIOs to perform the roles and discharge the functions as ‘Appointed Actuary’.

3. **Definitions –**

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires –
 - (a) ‘Act’ means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
 - (b) ‘Authority’ means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the Act;
 - (c) ‘appointed actuary’ means an actuary appointed in terms of regulation 4 of these regulations;
 - (d) ‘board’ means the board of directors of an IIO, or the Board of Parent Entity of an IIO, in case the IIO is in an unincorporated form;
 - (e) ‘International Financial Service Centre Insurance Office’ or ‘IIO’ shall have the same meaning as assigned to it under clause (k) of sub-regulation (1) of regulation 3 of the

International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021;

- (f) **‘professional standards’** refer to the standards of practice specified by the International Standards of Actuarial Practice (ISAPs), the European Standards of Actuarial Practice (ESAPs) or International Actuarial Association (IAA).
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act or any rules, regulations or notifications made thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

4. **Appointment of Appointed Actuary –**

- (1) The Board of an IIO shall appoint a person having the necessary qualification, competency, experience and professional status to carry out the functions of an 'Appointed Actuary' (AA).
- (2) To be eligible for appointment as an AA, one shall be a Fellow Member of any Full Member Association of the IAA and shall -
- hold a valid certificate of practice issued by such Full Member Association;
 - have a minimum of 2 years post-fellowship experience in the insurance industry relevant to the business conducted by the IIO (i.e. in the areas of Life, General, Health or Reinsurance as the case may be);
 - not found to have been guilty of any professional or financial misconduct;
 - not be acting as an Appointed Actuary of any other insurer including an IIO;
- Provided that* in case of an unincorporated IIO, AA of the Parent Entity may be eligible to be appointed as an AA of IIO; and
- (e) not function in any other capacity which could result in conflict of interest in performing his role as AA in accordance with these regulations.
- Provided that* in case of an unincorporated IIO, an AA shall be appointed by the Parent Entity as per extant regulatory framework issued by its home country regulatory or supervisory authority.
- (3) The Board of IIO, while appointing an AA, shall authorise the AA to report directly to the Authority about non-compliance of any applicable law or regulatory requirement, by the IIO.
- (4) An IIO shall inform the Authority about the person appointed as AA, within a period of seven (7) days from the date of appointment and shall also keep the Authority informed about any change in the AA, besides submitting any other information or document to the Authority, as may be specified.
- (5) IIO shall ensure that:
- adequate resources and support are provided to the AA to perform his duties and obligations;
 - the AA reports directly to the person holding top executive position in an IIO, or where the IIO is in an unincorporated form, to the person holding top executive position of the Parent Entity.

5. **Powers of the Appointed Actuary –**

- (1) The AA shall have access to all relevant information and documents in possession or under control of the IIO; or where the IIO is in an unincorporated form, of the Parent Entity, in respect of the following matters -
- on which it is necessary to give actuarial advice to the IIO or its directors;
 - which may affect solvency of IIO; or
 - which may affect the ability to meet the reasonable expectations of policyholders.
- (2) The AA may seek any information and documents from any officer or employee of an IIO and it shall be duty of every such officer or employee to provide the same.

6. **Duties and Obligations of AA:-** In particular and without prejudice to the generality of the foregoing matters, and in the interests of the insurance sector and the policyholders of an IIO, the duties and obligations of an AA shall include the following:-

- (1) Rendering actuarial advice to the IIO, in particular in the areas of product design and pricing, insurance contract wording, investments and reinsurance;
- (2) Ensuring the solvency of the IIO at all times and maintaining the required control level of solvency margin;
- (3) Complying with the provisions of the Insurance Act, 1938, in regard to certification of the assets and liabilities that have been valued in the manner specified by the Authority;
- (4) Ensuring that overall pricing policy is in line with the overall underwriting and claims management policy of the IIO;
- (5) Ensuring that the premium rates of the insurance products are fair;
- (6) Ensuring adequacy of reinsurance arrangements;
- (7) Contributing to the effective implementation of the risk management system;
- (8) Certifying the Actuarial Report, Abstract and other returns as required by the Authority;
- (9) Coordinating the calculation of mathematical reserves and certifying that the mathematical reserves have been determined in the manner as directed by the Authority; and where such directions are not available, as per Professional Standards defined above;
- (10) Ensuring the appropriateness of the methodologies and underlying models used, the assumptions made, and the sufficiency and quality of the data used in the calculation of mathematical reserves, reserves for Incurred But Not Reported (IBNR) Claims and other reserves including Incurred But Not Enough Reported (IBNER) Claims and Premium Deficiency Reserve (PDR), as applicable;
- (11) Informing the Board about the reliability and adequacy of the calculation of mathematical reserves; reserves for IBNR, and other reserves including IBNER and PDR;
- (12) Informing the Board on any matter, where in the AA's professional opinion, action is required to be taken by the IIO, which may include: -
 - (a) Any contravention of the applicable laws;
 - (b) Anything prejudicial to the interests of policyholders;
 - (c) Any failure on the part of the directors, officers or employees of the IIO that does not allow the AA to perform his duties and obligations under these regulations;
 - (d) Non-compliance with the Authority's directions.
- (13) Directly informing the Authority about non-compliance of any applicable law or regulatory requirement, professional practice; and as per his discretion, any other relevant information.
- (14) Ensuring the IIO's business specific requirements in respect of -
 - (a) Life insurance business -
 - (i) Recommending bonuses payable to the policyholders;
 - (ii) Ensuring that the valuation of liabilities and distribution of surplus to the participating policyholders are done in a fair manner;
 - (iii) Ensuring pricing adequacy of insurance products.
 - (b) General insurance business or Health insurance business -
 - (i) Determining liabilities as per actuarial principles;
 - (ii) Calculating reserves for IBNR and other reserves including IBNER and PDR, as per actuarial principles.
 - (iii) Ensuring pricing adequacy of insurance products.

7. Actuarial Reports –

- (1) Actuarial Reports shall be in accordance with the guidelines issued by the Authority and in compliance with applicable Professional Standards mentioned under clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 3 of these regulations, practice standards and guidance notes issued by the Actuarial Association of which the AA is a member.

Provided that in respect of an unincorporated IIO, the applicable Professional Standards for AAs shall be as specified by home country regulatory or supervisory authority of its parent entity.

- (2) The AA shall *inter-alia* submit the following to the Authority –
 - (a) An Actuarial Certificate of the Valuation of Assets and Liabilities and the adequacy of capital in respect of the Parent Entity of the IIO, if applicable.
 - (b) An Actuarial Valuation Report in respect of the IIO containing the following –
 - (i) The detailed methodology used for computation of reserves;
 - (ii) The requirement of capital as per the relevant regulations;
 - (iii) The variability associated with the estimates; and
 - (iv) Disclaimers and qualifications, if any
 - (c) An Actuarial Certificate of the value of the Investments of the IIO.
 - (d) A Statement of admissible assets, liabilities and adequacy of capital.
 - (3) The AA shall submit requisite forms to the Authority on quarterly basis from the end of the reference period, or at such periodicity as may be specified.
8. **Power to specify procedures etc.:** For the purpose of implementation, facilitation and regulation of the functions of the Appointed Actuary and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes and manners for compliance by IIOs.
9. **Power to remove difficulties and relax strict enforcement of the regulations:**
- (1) In order to remove any difficulty in the application or interpretations of the provisions of these regulations, the Authority may issue clarifications through guidance notes or circulars.
 - (2) On an application, received along with the specified non-refundable processing fees, the Authority, may for the reasons to be recorded in writing, relax the strict enforcement of any of the provisions of these regulations.
10. **Repeals and saving:**
- (1) On and from the commencement of these regulations, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Appointed Actuary) Regulations, 2022 and any Circulars, Guidelines issued thereunder from time to time, shall cease to apply in an International Financial Services Centre.
 - (2) IIOs operating in an IFSC prior to the commencement of these regulations, shall comply with the additional requirements specified in these regulations, if any, within a period of one month from the commencement of these regulations or within such extended period as may be specified by the Authority.

INJETI SRINIVAS, Chairperson
[ADVT.III/4/Exty./552/2022-23]